न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 743 / 2022

अनवान : –

1. सजना पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**

पेराकार राज

निर्णय दिनांकः 09/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 274 / 289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि कानाराम पुत्र पुरखाराम एवं रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384 / 367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि मं से 1 / 2 हिस्सा भूमि कानाराम पुत्र पुरखाराम एवं 1 / 2 हिस्सा भूमि सजना पत्नी रामलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है पुरखाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर के दो लड़के हुए मोहनलाल व कानाराम हुए मोहनलाल व कानाराम दोनो अविवाहित थे तथा मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी सेवा हेतु राकेश पुत्र श्री रामलाल जाति जाट को खोले ले लिया था तथा मोहनलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर दिनांक 08.01.2011 को फौत हो चुका है तथा कानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाति जाट साकिन सिरंगसर दिनांक 28.10.2011 को फौत हो चुका है एवं राकेश जो की मोहनलाल का खोलायत पुत्र था का दिनांक 21.12.2017 को स्वर्गवास हो चुका है।

राकेश पुत्र मोहनलाल अविवाहित फौत हो चुका है तथा राकेश के वारिसान हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी माता है। कानाराम पुत्र पुरखाराम के अविवाहित फौत होने के कारण उसकी वारिसान उसकी माता वादीया है इसलिए रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता स0 274 / 289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384 / 367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि में से 1 / 2 हिस्सा भूमि जो की कानाराम के नाम दर्ज है में वादीया अकेली खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार वादीया न्यायालय [illegible] करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। यही बिनाए दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी, सरपंच ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र राकेश, मृत्यु प्रमाण पत्र कानाराम, मृत्यु प्रमाण पत्र मोहन, चित्रप्रति वसीयतानामा आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीया ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में कानाराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि वादीया की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीया का जन्मजात हक हिस्सा है पुरखाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर के दो लड़के हुए मोहनलाल व कानाराम हुए मोहनलाल व कानाराम दोनो अविवाहित थे तथा मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी सेवा हेतु राकेश पुत्र श्री रामलाल जाति जाट को खोले ले लिया था तथा मोहनलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर दिनांक 08.01.2011 को फौत हो चुका है तथा कानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाति जाट साकिन सिरंगसर दिनांक 28.10.2011 को फौत हो चुका है एवं राकेश जो की मोहनलाल का खोलायत पुत्र था का दिनांक 21.12.2017 को स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। राकेश पुत्र मोहनलाल अविवाहित फौत हो चुका है तथा राकेश के वारिसान हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी माता है। कानाराम पुत्र पुरखाराम के अविवाहित फौत होने के कारण उसकी वारिसान उसकी माता वादीया है इसलिए रोही मौजा ढाणी रायकान के खाता स0 274/289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि एवं रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384/367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि जो की कानाराम के नाम दर्ज है में वादीया अकेली खातेदार काश्तकार है। वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों [illegible] सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:58 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक[illegible] किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड [illegible] रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 274/289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि कानाराम पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुरखाराम एवं रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384/367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि मं से 1/2 हिस्सा भूमि कानाराम पुत्र पुरखाराम एवं 1/2 हिस्सा भूमि सजना पत्नी रामलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादीया का कथन है कि पुरखाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर के दो लड़के हुए मोहनलाल व कानाराम हुए मोहनलाल व कानाराम दोनो अविवाहित थे तथा मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में अपनी सेवा हेतु राकेश पुत्र श्री रामलाल जाति जाट को खोले ले लिया था तथा मोहनलाल पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी सिरंगसर दिनांक 08.01.2011 को फौत हो चुका है तथा कानाराम पुत्र पुरखाराम जाति जाति जाट साकिन सिरंगसर दिनांक 28.10.2011 को फौत हो चुका है एवं राकेश जो की मोहनलाल का खोलायत पुत्र था का दिनांक 21.12.2017 को स्वर्गवास हो चुका है। उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। राकेश पुत्र मोहनलाल अविवाहित फौत हो चुका है तथा राकेश के वारिसान हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान उसकी माता है। कानाराम पुत्र पुरखाराम के अविवाहित फौत होने के कारण उसकी वारिसान उसकी माता वादीया है वादीया द्वारा प्रस्तुत सरंपच ग्राम पंचायत सिरंगसर द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र के अनुसार मोहनलाल, कानाराम व राकेश के एकमात्र वारिस सजना है तथा मृत्यु प्रमाण बहक राकेश के मुताबिक राकेश के पिता का नाम मोहनलाल दर्ज है। अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 274/289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में मृतक कानाराम पुत्र पुरखाराम का नाम कलमजन किया जाकर 4.1480 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384/367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि में कान्हा पुत्र पुरखा का नाम कलमजजन किया जाकर 3.0110 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/— रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमीन जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/9/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:58 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 743/2022
अनवान : –

1. सजना पत्नी रामलाल जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।

– वादीया

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 743 सन 2022 निर्णय दिनांक 09/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती हैं कि रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता स0 274/289 की कुल 4.1480 हैक्ट भूमि में मृतक कानाराम पुत्र पुरखाराम का नाम कलमजन किया जाकर 4.1480 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता स0 384/367 की कुल 3.0110 हैक्ट भूमि में कान्हा पुत्र पुरखा का नाम कलमजजन किया जाकर 3.0110 हैक्ट भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/9/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.19 18:47:58 IST
Reason: SelfAttested